न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(अरूण कुमार हसीजा,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
प्रार्थनापत्र 3 जी (5) संख्या 02/2018
दायर दिनांक : 30.01.2018
आदेश दिनांक : 29.08.2025

शंभुलाल पिता मोहनलाल जाति टांक आयु वयस्क निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला–राजसमंद (राज.)

– प्रार्थी

बनाम

1. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये परियोजना निदेशक, 6–ए–1, आर.सी. व्यास कॉलोनी, भीलवाडा, राजस्थान ।
2. राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब राजसमंद (राज.)
3. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवति) एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला–राजसमन्द (राज0)।

– विपक्षीगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 3जी (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्री प्रहलाद शर्मा, अधिवक्ता – प्रार्थी
2. श्री दिनेश बाफना, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1
3. श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता, विपक्षी संख्या 2
4. श्री गिरीश तिवारी, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 3

:: निर्णय ::

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की ओर से विपक्षी संख्या 3 के द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 27/12/2017 से असंतुष्ट होकर क्षतिपूर्ति पुनः निर्धारण कर क्षतिपूर्ति राशि बढोतरी हेतु इन आधारो पर प्रस्तुत है कि विपक्षी संख्या 3 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर भीलवाडा रो राजसमंद तक चार लेन सड़क निर्माण परियोजना के अन्तर्गत प्रार्थी की गांव खण्डेल, तहसील रेलमंगरा, जिला राजसमन्द स्थित खसरा संख्या 2011/1697 भूमि में से भूमि की अवाप्ति प्रार्थी द्वारा आपत्ति दर्ज कराये जाने पर भी विपक्षीगण की मिलीभगत से विधि विरूद्ध की गई है। प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 3 के यहां विधि अनुसार आपत्तियां एवं क्लेम मय दस्तावेजो व फोटो सहित प्रस्तुत किये गये किन्तु विपक्षी संख्या 3 ने उन्हे नजरअन्दाज करते हुए प्रार्थी को बिना सुचित किये एवं बिना पर्याप्त सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुवे एवं

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

बिना प्रार्थी की उपस्थिति में मौके का पर्चा मौका बनाये ही विधि विरूद्ध पत्रावली/अधि. सू. क्रमांक 2910 (अ) दि. 25.09.13/ दिनांक 27.12.2017 को अनरिजन्ड, आलोच्य अर्वाड पारित कर प्रार्थी के बैंक खातों में क्रमशः राशि 78,878/– रूपया जमा करवा दिये गये हैं। जो राशि अपर्याप्त है जिससे प्रार्थी सन्तष्ट नही है। उक्त आराजी रेलमंगरा तहसील रेलमंगरा में वहां की व्यवसायिक हृदय स्थली के निकट मुख्य सड़क व मुख्य चौराहा पर स्थित है तथा उक्त आराजी के आस पास व सामने व्यवसायिक केन्द्र, दुकाने, होटलें, गोदाम कई वर्षों पूर्व से स्थापित है। प्रार्थी भी इसका उपयोग उपभोग अपने व्यवसाय में लम्बे समय से कर रहा है। जिससे प्रार्थीगण की उक्त अवाप्त भूमि का मुआवजा वर्तमान डी.एल.सी. रेट से 25 से 30 गुणा अधिक प्रदान किया जाना चाहिये। साथ ही प्रार्थी उक्त राशि का 100 प्रतिशत अतिरिक्त अवार्ड भी अन्तर्गत धारा 30 Award of solatium के तहत कानूनन प्राप्त करने के अधिकारी है तथा नोटिफिकेशन की दिनांक से अवार्ड राशि पर 24 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी प्रार्थी प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रार्थी की अवाप्त की गई भूमि को प्रार्थीगण ने काफी लागत लगाकर समतलीकरण, चार दिवारी बनवाकर लम्बे समय से व्यवसाय कर रहे थे। इस मद में प्रार्थीगण राशि 10,00,000/– दस लाख रूपया मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी है, उक्त भूमि से प्रार्थी को किराया व अन्य कई प्रकार की आय भी प्राप्त होती थी किन्तु उक्त भूमि को अवाप्त कर लिये जाने से आय प्रभावित हुई है। इस मद में प्रार्थीगण मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी है, अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि आवेदन में वर्णित अनुसार मुआवजा बढोतरी फरमाकर प्रार्थीगण को विपक्षीगण से प्रदान करावें।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 की ओर अधिवक्ता श्री दिनेश बाफना ने उपस्थिति दी, विपक्षी संख्या 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री अनिल बागोरा ने उपस्थिति दी एवं विपक्षी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री गिरीश तिवारी ने उपस्थिति दी। तथा सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द से अवार्ड पत्रावली तलब की गई।

विपक्षी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सक्षम प्राधिकारी जी ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसरण में विधिवत् अवार्ड जारी फरमाया है, जिसमें मिलाभगती का आक्षेप सर्वथा निराधार है। सक्षम प्राधिकारी जी ने पटवारी हल्का एवं तहसीलदार की मौका रिपोर्ट एवं राजस्व अभिलेख का निरीक्षण करने के उपरान्त देय राशि प्रार्थी द्वारा अपना बैंक खाता नम्बर बताने पर जमा कराए गए है। राजस्व अभिलेख में भूमि की किस्म बारानी तृतीय अंकित है। आराजी संख्या 1697 पर स्थित निर्माण संरचना बाबत् हितबद्ध व्यक्ति सुन्दर बाई पत्नी रामपाल खटीक के पक्ष में 2,36,008/– रूपये का अवार्ड पारित किया गया है तथा RFCTLARR ACT 2013 में वर्णित प्रावधानानुसार भी हितबद्ध व्यक्तियों के पक्ष में अवार्ड जारी कर दिया गया है तथा जवाबदाता ने सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवार्ड अनुसार राशि की मांग करने से सक्षम प्राधिकारी जी को जमा करा दी है। जिससे प्रार्थी वांछित राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। भूमि की किस्म बीड़ अंकित है, फिर भी उचित मुआवजा मिलने से प्रार्थी की आर्थिक स्थिति काफी सुदृढ हुई है, प्रस्तुत प्रकरण में अब कोई राशि देय नहीं है। सक्षम प्राधिकारी जी द्वारा दिनांक 26.12.2017 को ही अवार्ड जारी फरमा दिया गया था लेकिन प्रार्थी द्वारा निराधार तथ्यो के आधार पर यह प्रार्थनापत्र काफी देरी से पेश हुआ है, जो प्रार्थनापत्र चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी जवाबतदाता के विरूद्ध सव्यय खारिज फरमाया जावे।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

विपक्षी संख्या 03 की ओर से अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम खण्डेल की आराजी नम्बर 2011/1697 में भूमि अवाप्ति नहीं होकर मात्र आ.नं. 1097 कृषि भूमि किस्म बारानी ।।। और बीड में से 0.2023 हैक्टर भूमि अवाप्ति होना स्वीकार किन्तु प्रार्थी द्वारा निर्धारित अवधि में कोई कलेम पेश नहीं किया एवं विपक्षी द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की गई है। विपक्षी सं. 3 ने विधिवत् कार्यवाही कर नियमानुसार अवार्ड पारित कर राशि रू. 78,878/– जारी कर प्रार्थी के खाते में जमा करवाये, शेष कथन निराधार होने से अस्वीकार। विपक्षी सं. 3 द्वारा नियमानुसार भूमि अवाप्त कर विधिवत् अवार्ड जारी किया है, प्रार्थी वर्तमान DLC रेट से भी 25 से 30 गुणा राशि अधिक प्राप्त करना चाहता है, जिसका वो नियमानुसार हकदार ही नहीं है। प्रार्थी रू. 10 लाख अतिरिक्त मुआवजा प्राप्त करना चाहता है, जिसका कोई आधार नहीं है। प्रार्थी ने आवेदन अन्दर अवधि प्रस्तुत नहीं किया है, न ही धारा 5 अवधि अधिनियम के तहत विलम्ब को कण्डोन बाबत् कोई प्रार्थना पत्र ही पेश किया है। शेष प्रार्थना है जो सर्वथा मिथ्या एवं निराधार होने से अस्वीकार। विपक्षी ने 3A 3059 (अ) 28.12.2012 को जारी कर 30.01.2013 को समाचार पत्रों प्रकाशित करवाया जिसका 3D 2910 (अ) दि. 25.02. 2013 को जारी कर दिनांक 19.10.2013 दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करवा द्वारा क्लेम/दावे आमंत्रित किये गये थे, इसके बावज प्रार्थी ने सप्रमाण निर्धारित 21 दिवस में कोई क्लेम पेश नहीं किया है, अतः प्रार्थी का क्लेम मय बाहर होने से उक्त प्रार्थना पत्र पोषनीय नहीं है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी की ओर से विपक्षी संख्या 3 के द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 27.12.2017 से असंतुष्ट होकर क्षतिपूर्ति पुनःनिर्धारण कर क्षतिपूर्ति राशि बढोतरी हेतु इन आधारो पर प्रस्तुत है कि प्रार्थी की गांव खण्डेल, तहसील रेलमंगरा, जिला–राजसमन्द स्थित खसरा संख्या 2011/1697 भूमि में से भूमि की अवाप्ति प्रार्थी द्वारा आपत्ति दर्ज कराये जाने पर भी विपक्षीगण की मिलीभगत से विधि विरूद्ध की गई है। प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 3 के यहां विधि अनुसार आपत्तियां एवं क्लेम मय दस्तावेजो व फोटो सहित प्रस्तुत किये गये किन्तु विपक्षी संख्या 3 ने उन्हे नजरअन्दाज करते हुए प्रार्थी को बिना सुचित किये एवं बिना पर्याप्त सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुवे एवं बिना प्रार्थी की उपस्थिती में मौके का पर्चा मे का बनाये ही विधि विरूद्ध पत्रावली/अधि. सू. क्रमांक 2910 (अ) दि. 25.09.13/ दिनांक 27.12.2017 कों को अनरिजन्ड, आलोच्य अर्वाड पारित कर प्रार्थी के बैंक खातों में क्रमशः राशि 78,878/– रूपया जमा करवा दिये गये हैं। जो राशि अपर्याप्त है जिससे प्रार्थी सन्तष्ट नही है। उक्त आराजी रेलमंगरा तहसील रेलमंगरा में वहां की व्यवसायिक ह्रदय स्थली के निकट मुख्य सड़क व मुख्य चौराहा पर स्थित है तथा उक्त आराजी के आस पास व सामने व्यवसायिक केन्द्र, दुकाने, होटलें, गोदाम कई वर्षों पूर्व से स्थापित है। जिससे प्रार्थीगण की उक्त अवाप्त भूमि का मुआवजा वर्तमान डी.एल.सी. रेट से 25 से 30 गुणा अधिक प्रदान किया जाना चाहिये। साथ ही प्रार्थी उक्त राशि का 100 प्रतिशत अतिरिक्त अवार्ड भी अन्तर्गत धारा 30 Award of solatium के तहत कानूनन प्राप्त करने के अधिकारी है तथा नोटिफिकेशन की दिनांक से अवार्ड राशि पर 24 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी प्रार्थी प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि आवेदन में वर्णित अनुसार मुआवजा बढोतरी फरमाकर प्रार्थीगण को विपक्षीगण से प्रदान करावें।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता ने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि सक्षम प्राधिकारी जी ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसरण में विधिवत् अवार्ड जारी फरमाया है, जिसमें मिलाभगती का आक्षेप सर्वथा निराधार है। सक्षम प्राधिकारी जी ने पटवारी हल्का एवं तहसीलदार की मौका रिपोर्ट एवं राजस्व अभिलेख का निरीक्षण करने के उपरान्त देय राशि प्रार्थी द्वारा अपना बैंक खाता नं. बताने पर जमा कराए गए है, जहाँ तक खाली कागजो पर हस्ताक्षर कराने के तथ्य वर्णित किए गए है, वह सर्वथा निराधार है। अधिनियम की धारा 3 ए के तहत जिस दिनांक को भारत के राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित की गई है, उस दिन की डीएलसी दर के आधार पर विधिवत् अवार्ड जारी फरमाया गया है। सक्षम प्राधिकारी जी द्वारा दिनांक 26.12.2017 को ही अवार्ड जारी फरमा दिया गया था। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी सव्यय खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 3 के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि मेरे जवाब को ही बहस माना जावा। तथा राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि नियमानुसार राजस्व रेकार्ड एवं मौके की स्थिति संरचना अनुसार कार्यवाही करते हुए मुआवजा राशि अदा की गयी है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना आधारहीन होने से पोषणीय नहीं है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं अवार्ड पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में मुख्यतः 2 बिन्दुओ पर आपति लगाई गई है। कि प्रार्थी की जो अवाप्तशुदा भूमि है, उसमें जो अवार्ड हैं वह RFCTLARR ACT 2013 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं किया गया है। साथ ही इसके द्वारा यह भी कहा गया है अवाप्तशुदा भूमि पर जो बाउन्ड्रीवाल (चार दिवारी) थी उसके मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है। यहां पर अप्रार्थीगण द्वारा जो जवाब प्रस्तुत किया गया है। उसमें उनके द्वारा यह अंकित किया गया है कि अवार्ड का निर्धारण RFCTLARR ACT 2013 प्रावधानों के अनुरूप किया गया है।

पत्रावली का अवलोकन करने पर इसमें यह प्रकट हुआ कि अवार्ड दिनांक 07.07.2017 को जारी किया गया है। तथा अवार्ड का अध्ययन करने पर यह जाहिर हुआ है कि इस अवार्ड का निर्धारण RFCTLARR ACT 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार नहीं किया गया है। क्योंकि इसमें कही भी तोषण (solatium) राशि का उल्लेख नहीं किया गया है। साथ ही जहां तक इसमें संरचनाओं का प्रश्न है इसमें मकान व दुकान के लिए अवार्ड राशि दी गई है। बाउन्ड्रीवाल के लिए किसी प्रकार की राशि का भुगतान नहीं किया गया है। अब इस बाउन्ड्रीवाल के संबंध में प्रार्थी की जो आपत्ति है। उसमें प्रार्थी का कर्तव्य है कि वह निर्धारित अवधि में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की गई हो ऐसा पत्रावली से कहीं जाहिर नहीं होता है। और अब भूमि अवाप्त होने के बाद अब पता लगाया जाना कि उस समय वहां बाउन्ड्रीवाल थी या नहीं थी। वो व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। परन्तु यह बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रार्थी को जो अवार्ड दिनांक 07.07.2017 को पारित किया गया है। उसमें वह अवार्ड RFCTLARR ACT 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार होना नहीं पाया गया है। भारत सरकार के विधि व न्याय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 31.12.2014 के अनुसार RFCTLARR ACT 2013 के लागू प्रावधानों में संशोधन किया गया है। तथा उसमें यह प्रावधान किया गया हैं कि दिनांक 01.01.2015 के बाद जो भी अवाप्तशुदा संपति के अवार्ड का निर्धारण किया जाए वह RFCTLARR ACT 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार किया जाए। इस

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

प्रकरण में अवार्ड दिनांक 07.07.2017 को जारी किया गया है अर्थात् अवार्ड दिनांक 01.01.2015 के बाद जारी किया गया है। अतः इस अवार्ड का निर्धारण RFCTLARR ACT 2013 के लागू प्रावधानों के तहत ही किया जाना चाहिए। जो किया जाना जाहिर नहीं हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ कार्यालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर प्रकरण को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अवाप्तशुदा भूमि के अवार्ड का निर्धारण RFCTLARR ACT 2013 के प्रावधानों के अनुरूप कर संशोधित अवार्ड जारी करे। निर्णय की प्रति मय अधीनस्थन कार्यालय की मूल अवार्ड पत्रावली कार्यालय सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द को भिजवायी जावे।

(अरूण कुमार हसीजा)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
राजसमन्द

आदेश आज दिनांक 29.08.2025 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अरूण कुमार हसीजा)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)